कार्यालय जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

क्रं./ वी 8136/स्था/शिक्षा /जि.पं./2017 बलौदाबाजार-भाटापारा,दिनांक 11 / 11/2017

प्रति,

....

....

....

....

विषय :- व्याख्याता पंचायत (विषय ---------------) भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन-सूचना पत्र।

-- 00--

व्याख्याता पंचायत के पद पर चयन हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रावीण्य सूची में आपका नाम शामील होने के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत आपके आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 17.11.2017 को प्रातः 10.30 बजे जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा के सभाकक्ष में किया जाना निर्धारित है।

तदानुसार नीचे लिखे निर्देशो का भली-भांति अध्ययन कर सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनी उपस्थिति देवें।

शर्तें :-

1. दस्तावेज सत्यापन हेतु यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अभ्यर्थी अपने समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति भी फाईल में संलग्न कर जिला पंचायत बलौदाबाजार में जमा करेंगे।
3. दस्तावेज सत्यापन के समय व्याख्याता पंचायत भर्ती परीक्षा- 2017 के ऑनलाईन आवेदन की स्वच्छ प्रति साथ लावें एवं फाईल में जमा करें।
4. विज्ञापन की कण्डिका 03 के अनुसार आयु की गणना 01.01.2017 की स्थिति में की जावेगी।
5. शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि अर्थात दिनांक 24.07.2017 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6. आयु सीमा में छुट लिये जाने पर इसके दस्तावेज की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता से सम्बन्धित अंकसूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक-एक छायाप्रति प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
8. निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपके चयन पर विचार नहीं किया जा सकेगा, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. दस्तावेज सत्यापन में कोई भी विवाद/समस्या के निराकरण बाबत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।

टीप :- **भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी भूतपूर्व होने के प्रमाण पत्र होने पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होवें।**

(एस.जयवर्धन,IAS)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)